शिकायतकर्ता :
शारमिन शाहरुख शेख
पता: रुम नं. 1087, प्लॉट नं. 11,
भारत नगर, बी.के.सी.,
मुंबई - 400 051

दिनांक : 19.11.2020

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक
बी.के.सी. पुलिस थाना,
बांद्रा (पू.), मुंबई

विषय: झूठी शिकायत पर दर्ज FIR No. 304/20 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार तकनीकि/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल करके जरूरी तकनीकि सबूतों को जमा करके रिकॉर्ड पर लिये जाने बाबत।

महोदय,

मनपा का करोड़ों रुपये का पानी चोरी करनेवाले गुंडों के मामले में, गैर-कानूनी तरीके से डरा-धमकाकर गरीबों के घर खाली करवाने के मामले में, ओमकार बिल्डर द्वारा मुंबई यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा करने के मामले में व गैरकानूनी गतिविधियों की लगातार शिकायत करने की वजह से बी.के.सी पुलिस थाने व ज़ोन 8 के भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को मिलनेवाले हफ्ते में रुकावटें आने की वजह से नामचीन गुंडों के सहारा लेकर समाजसेवी बाबु भाई का कत्ल किया गया व मनिहार परिवार व अन्य साथियों पर बिना किसी सबूत के झूठे मामले दर्ज किये गये(जिनके सारे सबूत मौजूद हैं)। वर्तमान का FIR No. 304/20 बिल्कुल झूठा व बेबुनियाद है, अतः अदालती कार्यवाही द्वारा सच्चाई सामने लाने के लिये निम्न तकनीकि/इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को तुरंत जमा किया जाये व रिकॉर्ड पर लिया जाये:

a. FIR No. 304/20 की शिकायतकर्ता के देवर के अलावा अन्य गुंडों और नगरसेवक के पति व IPC 302 के आरोपी सालिम कुरैशी के खिलाफ अपहरण व प्रताड़ना की शिकायत के साथ-साथ मनिहार परिवार को झूठे रेप के केस में फँसाने की शिकायत का 13.11.20 को दिया गया बयान संबंधित मामले में रिकॉर्ड पर लेते हुये मामले की जाँच की जाये (**Exhibit – A and Exhibit – B**)।

b. FIR No. 304/20 की शिकायतकर्ता के देवर के द्वारा 'रंडी' जैसे गंदे अश्लील शब्दों के उच्चारण बीच बाजार में किये गये थे जिसकी वजह से उसपर FIR No. 313/20 खेरवाडी पुलिस थाने में दि. 17.10.2020 के दिन IPC 294, 509 के तहत दर्ज की गई थी (**Exhibit – C**)

c. FIR No. 304/20 की शिकायतकर्ता की बेटी के खिलाफ 11.11.20 के दिन NC No. 767/20 IPC 323, 504, 506 के तहत दर्ज की गई थी (**Exhibit – D**)

d. FIR No. 304/20 में संबंधित सभी जरूरी व्यक्तियों की मोबाईल कॉल डीटेल्स, मोबाईल लोकेशन व अन्य वीडियो कॉल (जैसे Whatsapp कॉल, messenger कॉल, वीडियो कॉल आदि) की डिटेल तुरंत जमा की जाये और रिकॉर्ड पर ली जाये।

Scanned with CamScanner

e. FIR No. 304/20 में आरोपी के घर के पास कैमरे लगे हैं उसकी कथित घटना के दिन (12.11.2020) की सुबह 9.00 बजे से रात 9.00 बजे तक की सी.सी.टी.वी. फुटेज जमा की जाये व रिकॉर्ड पर ली जाये साथ ही उस सी.सी.टी.वी. कैमरे का पिछले छः महीने का वह डाटा तुरंत जमा किया जाये जिसके अनुसार जिस-जिस IP Address व मोबाईल नंबर पर उन कैमरों का access लिया गया है जिससे access करनेवाले सभी के नाम सामने आ सके व रिकॉर्ड पर लिये जा सके, यह access अदालती से मिलनेवाले इंसाफ के लिये अति उपयोगी व महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक व तकनीकी सबूत है|

f. FIR No. 304/20 की शिकायतकर्ता की बेटी का 10वीं क्लास में होना व उसके कहे अनुसार 'कथित घटनास्थल पर जाने का कारण पुस्तक लेना बताया गया है' जबकि कथित सहेली या कज़न 11वीं क्लास में पढती है जिसकी सच्चाई को सामने लाने के लिये तुरंत आवश्यक सबूत व बयान रिकॉर्ड पर लिये जाएं|

g. FIR No. 304/20 की शिकायतकर्ता की बेटी से यह प्रश्न पूछा जाये व उस जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जाये कि, जब वह 10वीं में पढ़ती है तो उसे 11वीं कक्षा की पुस्तक लेने की जरूरत क्यों है और अगर उसका यह कहना है कि, वह 10वीं की पुस्तक लेने गई थी तो उससे यह सवाल पूछा जाना चाहिये कि, स्कूल की शुरुवात तो जून में हो गई थी फिर अभी फायनल एक्जाम के समय तक आपने कौन सी पुस्तक से पढ़ाई की| शिकायतकर्ता की बेटी द्वारा ली गई उन सभी पुस्तकों की वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर रिकॉर्ड पर ली जाये जिन पुस्तकों को कथित घटना के दिन शिकायतकर्ता की बेटी द्वारा लिया गया था|

h. FIR No. 304/20 की शिकायतकर्ता की बेटी के खिलाफ कथित घटनास्थल पर एक दिन पहले भी शिकायत हुई थी जिसमें मेरे द्वारा शिकायत की गई थी मगर गंदी गालिया दिये जाने के बावजूद बी.के.सी. पुलिस थाने द्वारा केवल NC ही की गई थी जबकि यह गालियां इसलिये दी गई थीं क्योंकि मेरे द्वारा दि. 17.10.20 को उसके चाचा शारिक के ऊपर FIR No. 313/20 दर्ज की गई थी और उसी के विरोध में FIR No. 304/20 की शिकायतकर्ता की बेटी द्वारा मुझे गंदी-गंदी गालियाँ दी गई थीं जिसे रिकॉर्ड पर लेकर विश्लेषण किया जाना अति आवश्यक है और ऐसी स्थिती में भी FIR No. 304/20 की शिकायतकर्ता की बेटी द्वारा फिर से कथित घटनास्थल पर दुबारा जाना अपने आप में ही संदिग्ध है|

उपरोक्त तथ्य साबित करते हैं कि, शिकायतकर्ता द्वारा लगाये आरोप संदिग्ध हैं और वर्तमान मामले में अनेकों तकनीकि/इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद है जिसे पुलिस किसी भी आरोपी को कस्टडी में लिये बिना भी प्राप्त कर सकती है|

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार तुरंत उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए तकनीकी/इलेक्ट्रॉनिक सबूतों जमा करके रिकॉर्ड पर लिया जाये और सच्चाई को सामने लाया जाए|

शारमिन शाहरुख शेख

Scanned with CamScanner